न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राजस्थान)

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः— **16 / 2017** रसद

राज्य सरकार जरिये श्याम प्रतापसिंह प्रवर्तन निरीक्षक

.....**प्रार्थी**

बनाम

श्री किशनलाल उचित मुल्य दुकानदार, जूड़ा बी, तहसील कोटड़ा

.....**विपक्षी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए सपठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियन्त्रण) आदेश 2001 के क्लॉज 10 के तहत जब्तशुदा 4.75 क्विं. गेहूँ मय बारदाना व 100 लीटर केरोसीन को राजसात करने के कम में

उपस्थितः— 1. श्री विजयसिंह राठौड़, पैरोकार सरकार
2. विपक्षी स्वयं

—: निर्णय :—

दिनांकः—11.12.2017

प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक श्यामप्रतापसिंह द्वारा एक आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्तशुदा 4.75 क्विंटल गेहूँ मय बारदान एवं 100 लीटर केरोसीन को राज्यसात किये जाने हेतु निवेदन किया हैं।

प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि खाद्य विभाग जयपुर द्वारा गठित जॉच दल द्वारा उपखण्ड कोटड़ा के उचित मुल्य की दुकान सेन्टर जुड़ा बी का दिनांक 21.07.17 को आकस्मिक निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण दुकान बन्द मिली। डीलर अनुपस्थित था। डीलर से मोबाईल पर सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ कि वह उदयपुर जा रहा था। मौके पर उपस्थिति देना सम्भव नहीं होना बताया। मौके पर उपस्थित सुरजमल प्रजापत पुत्र संतोषकुमार निवासी जूड़ा उपस्थित मिले। जिनसे जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि दुकान केलु के कच्चे घर में सुरजमल प्रजापत के घर में किराये से चलाई जा रही हैं। इस बात की तस्दीक सुरजमल द्वारा

मौके पर की गई व अपने मकान के किचन में रखे हुए गेहूँ के 10 कट्टे दिखाये और बताया कि यह गेहूँ राशन का हैं और डिलर किशनलाल की दुकान का हैं। दुकान का सुधार निर्माण कार्य होने से कट्टे किचन में रखे गये हैं। इन कट्टो का वजन करने पर गेहूँ 4.75 किलो होना मिला। केरोसीन गोदाम में लोहे के ड्रम पड़े मिले जिनमें कुल 100 लीटर केरोसीन मिला। मौके पर यह स्थिति स्पष्ट हुई कि डिलर द्वारा बिना सक्षम अनुमति के राशन वस्तुओ को अप्राधिकृत स्थान पर रखा गया हैं जिसे दुरूपयोग रोकने हेतु वजह सबुत 4.75 क्विंटल गेहूँ मय बारदान और 100 लीटर नीला केरोसीन मय ड्रम के फर्द जब्ती से राज लिया। जिसे सुरजप्रताप दुकान मालिक को सिपुर्दगीनामा लिखकर दिया गया। मौके पर पर्चा मौका कायम किया गया। चतरसिंह के पास पोईन्ट ऑफ सेल मशीन उपलब्ध मिली जिसका मशीन कोड 4884 हैं। जॉच पर निम्न अनियमितताऍ पायी गई।

1. पीओएस मशीन अनुसार 1 सितम्बर 2016 को 1336 क्विंटल गेहूँ आपूर्ती किये गये। जिसमें से 1380.90 का वितरण बता रखा है शेष –44.90 क्विंटल बनते है जबकि भौतिक सत्यापन पर 4.75 क्विंटल गेहूँ पाये गये।
2. इसी प्रकार 1 सितम्बर 2016 तक 10410 लीटर केरोसीन की आपुर्ति हुई है जबकि वितरण 11951.22 लीटर बताया गया है जिसके अनुसार शेष –1541.22 लीटर होना चाहिये जबकि भौतिक सत्यापन पर 100 लीटर केरोसीन मौके पर पाया गया।

अंकेक्षण के अनुसार 44.9 क्विंटल गेहूँ एवं 1541.22 लीटर केरोसीन का फर्जी ट्रांजेक्शन किया जाना सपष्ट होता हैं। जिसका दुरूपयोग नहीं हो इसलिये मौके पर राजसात किया गया हैं। राजसात कर गोदाम मालिक सुरजमल प्रजापत पिता संतोषकुमार को सिपुर्द किया गया। उचित मुल्य दुकान जूड़ा बी के डीलर श्री किशनलाल द्वारा अपने वितरण कार्य में गंभीर किस्म की अनियमितताऍ की गई हैं जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी अधिकार पत्र की शर्त संख्या 6, 8, 11, 17 सी एवं 18 का स्पष्ट उल्लंघन हैं। साथही डीलर का उक्त कृत्य पी.डी.एस. ऑर्डर 2015 के प्रावधानो का भी स्पष्ट उल्लंघन हैं। जो ई.सी.एक्ट 1955 के तहत दण्डनीय अपराध हैं। अतः जब्तशुदा गेहूँ शीघ्र खराब होने वाली वस्तु है जिसका शीघ्रताशीघ्र निस्तारण कराने का श्रम करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसके द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 21.07.17 को खाद्य विभाग जयपुर द्वारा गठित जॉचदल द्वारा 21.07.17 को मेरे दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त जॉच आवश्यक कार्य होने से मैं

उदयपुर आया हुआ था। इसके कारण दुकान बन्द मिली। मोबाईल पर सम्पर्क कर मुझे उपस्थित होने हेतु कहा चुंकि उस समय तेज बारीश हो रही थी, तत्काल मेरे द्वारा अल्प समय में उपस्थित होना सम्भव नहीं था। इसलिये मैं नहीं आ सका, अतः उन्होने मेरे बिना जानकारी के बिना किसी भी तरह का स्टॉक आदि पूछे अपनी मन मर्जी से प्रकरण कार्यवाही कर दी जो गलत हैं। दुकान का स्टॉक गेहूँ 4.75 किग्राम जो उन्होने जब्त किया वह गेहूँ राशन दुकान का था। जो अवैध न होकर वैध है क्योंकि वह गेहूँ 4. 75 किग्रा. मय बारदान मेरे स्टॉक रजिस्टर में अंतिम स्टॉक दिनांक 21.07. 17 में दर्ज है जिसको उन्होने देखा ही नहीं और जब्त कर दिया जो गलत हैं। सारी कार्यवाही 1 सितम्बर 2016 को पूर्व का स्टॉक शून्य मानते हुए की गई जबकि मेरे पास 1 सितम्बर में स्टॉक पर केरोसीन 1641 लीटर एवं गेहूँ स्टॉक 48.20 किग्रा. था। इसी प्रकार केरोसीन गोदाम में स्टॉक का केरोसीन 100 लीटर वह भी मेरे केरोसीन स्टॉक रजिस्टर में दर्ज 21.07.17 का अंतिम स्टॉक है अतः वैध हैं। इस प्रकार दोनो उपरोक्त आवश्यक वस्तु 475 किग्रा. मय बारदान एवं केरोसीन 100 लीटर मेरे राशन की दुकान का हैं। राशन के स्टॉक रजिस्टर में अंतिम पोते हैं। अतः उपरोकत प्रकरण को निरस्त फरमाकर मुझे 475 किग्रा. गेहूँ एवं केरोसीन 100 लीटर सिपुर्द करवाया जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हम विपक्षी के इन कथनो व जवाब से संतुष्ट नहीं है कि मौके पर स्टॉक में मिला गेहूँ अवैध ना होकर वैध हैं एवं स्टॉक में दर्ज होना बताया जा रहा हैं। यह कथन भी विश्वास लायक नहीं है क्योंकि जब डीलर को सितम्बर 2016 से वक्त जॉच तक कुल गेहूँ 1336 क्विंटल की ही आपूर्ति की गई तो उसके द्वारा वितरण 1380.90 क्विंटल गेहूँ का किस आधार पर किया गया। इतना अधिक गेहूँ के वितरण को दर्शाते हुए भी 4.75 क्विंटल गेहूँ मौके पर अधिक मिले। यह स्थिति केरोसीन की भी हैं। इससे यह प्रथम दृष्ट्या डीलर का उक्त गेहूँ व केरोसीन को दुरूपयोग करने की नियत से अप्राधिकृत स्थान पर रखा गया था जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 6, 8, 11, 17सी एवं 18 का स्पष्ट उल्लंघन हैं। साथही डीलर का उक्त कृत्य पीडीएस ऑर्डर 2015 के प्रावधानो का भी उल्लंघन हैं। जो ई.सी.एक्ट 1955 के तहत दण्डनीय अपराध हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उचित मुल्य दुकान जूड़ा बी तहसील कोटड़ा के डीलर श्री किशनलाल की दुकान से जब्त 4.75

क्विंटल गेहूँ मय बारदान एवं 100 लीटर केरोसीन मय लोहे के ड्रम को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

जिला रसद अधिकारी द्वितीय, उदयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त जब्त गेहूँ मय केरोसीन को सुरजमल प्रजापत पुत्र संतोषकुमार निवासी जुड़ा को सिपुर्द किया गया है जिससे प्राप्त कर उचित मुल्य की दुकान से पीओएस मशीन के माध्यम से नियंत्रित दर पर वितरण करवा प्राप्त राशि जरिये चालान राजकोष में जमा करा निर्णय की पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें।

निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी द्वितीय, उदयपुर को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर,
उदयपुर